न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 85 / 2016

1 अमरसिंह पुत्र नानड़राम।
2 रूपचन्द पुत्र नानड़राम समस्त जाति जाट निवासीगण भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जलेसिंह पुत्र नानड़राम।
2 रमेश कुमार पुत्र रिशालसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3 उप पंजियक बुहाना जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान ग्रामीण बैंक भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 राज्य सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।
6 रोशनी पुत्री गिन्दो देवी लक्ष्मीनारायण स्त्री अमरसिंह जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.03.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी जलेसिंह बनाम अमरसिंह वगैरह दावा नम्बर 169 / 2013 दावा बाबत शाखा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 28.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 169/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 966/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 976 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 991/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 241 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.94 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम भालोठ तहत तहसील बुहाना जिला झुंझुनू में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोड़ेंट संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत के समक्ष खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 08.03.2016 को प्रारम्भिक रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित जमीन में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा है एवं इसी मुताबिक दावा डिक्री किया जावें। दौराने वाद रेस्पोडेंट संख्या 6 रोशनी देवी ने आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के तहत प्रार्थना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
* सीकर *

पत्र पेश किया जिसको अदालत मातहत ने स्वीकार कर रोशनी देवी को दिनांक 08.03.2016 को पक्षकार दावा प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया एवं बिना किसी साक्ष्य एवं बिना किसी जवाब दावा एवं बिना किसी संशोधित टाईटल, बिना किसी साक्ष्य एवं तनकीयात एवं बिना किसी बहस के दावा विधि विरूद्व रूप से प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित जमीन में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा है एवं इसी मुताबिक दावा डिक्री किया जावें। दौराने वाद रेस्पोडेंट संख्या 6 रोशनी देवी ने आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको अदालत मातहत ने स्वीकार कर रोशनी देवी को दिनांक 08.03. 2016 को पक्षकार दावा प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया एवं बिना किसी साक्ष्य एवं बिना किसी जवाब दावा एवं बिना किसी संशोधित टाईटल, बिना किसी साक्ष्य एवं तनकीयात एवं बिना किसी बहस के दावा विधि विरूद्व रूप से प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
...राजस्व अपील अधिकारी
...)

जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रक्रिया की पालना कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर